अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) जनसंख्या 8.43 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या की 8.2 प्रतिशत बनती है। गरीबी, साक्षरता तथा स्वास्थ्य के सामाजिक आर्थिक संकेतको का निम्न स्तर उनके विकास के निम्न स्तर को दर्शाता है। वे सामाजिक बाधाओं जैसी अन्य असुविधाओं को भी सहन करते है।

कई सांविधिक सुरक्षाएँ हैं जो अ.ज.जा. के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हैं। तथापि, विकास प्रयासों के बावजूद सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की निरन्तरता एवं स्थायीकरण ने अ.ज.जा. को अधिक उचित प्रकार से विकासात्मक योगदानों तथा वृद्धि के लाभों को और अधिक सामान्य तरीके से बांटने में समर्थ बनाने हेतु उनके लिए एक विशेष सकेन्द्रीत पद्धति तथा एक अलग नीति साधन की आवश्यकता को प्राधिकृत किया था। इसलिए शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रारम्भ में 1972 में जनजातिय लोगों के तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास हेतु अ.ज.जा. के संरक्षण, कल्याण तथा विकास की एक व्यापक नीति तैयार की गई थी तथा इसे पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। अ.ज.जा. हेतु कार्य योजना में अवधि-वार विकास को नीचे संक्षिप्त में दिया गया है :

वर्ष	संक्षिप्त विवरण
1972	अनुसूचित जनजाति के सरंक्षण, कल्याण तथा विकास हेतु जनजातिय उप-योजना (ज.जा.उ.यो.) के विकास के लिए प्रोफेसर एस.सी. दूबे की अध्यक्षता के विशेषज्ञ समिति का गठन।

1976	निम्न उद्देश्यों से ज.जा.उ.यो. का निरूपण: (i) अ.ज.जा. की गरीबी तथा बेरोजगारी में भारी कटौती; (ii) उनके हित में उत्पादक परिसम्पतियों का सृजन तथा आजीविका के अवसर प्रदान करना; (iii) पर्याप्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके मानव संसाधन विकास; तथा (iv) सामाजिक, भौतिक तथा वित्तीय सुरक्षा का प्रावधान।
2006	उद्देश्यों सहित ज.जा.उ.यो. के निरूपण तथा प्रभावी कार्यान्वयन हेतु योजना आयोग (दिसंबर 2006) द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश: (i) देश की कुल जनसंख्या के प्रति अ.ज.जा. जनसंख्या के अनुपात में योजनागत निधियों को चिन्हित करना (ii) ज.जा.उ.यो. निधियाँ अपवर्तनीय नहीं होनी तथा गैर-व्यपत्रत होनी चाहिए; तथा (iii) ज.जा.उ.यो. को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयो/विभागों के अलग बजट शीर्ष/उप-शीर्ष के अंतर्गत चिन्हित निधियों को रखना।
2010	• केन्द्रीय मंत्रालयो/विभागों ने ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों को चिन्हित करने में अपनी कठनाईयों को इंगित किया था। इसलिए, दिशानिर्देशों की समीक्षा करने हेतु डा. नरेन्द्र जादव, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य बल का जून 2010 में गठन किया गया था। • कार्य बल ने अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में आवंटन को चिन्हित करने में उनकी बाध्यता के अनुसार 28 केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों की चार श्रेणियों में पहचान की (i) कोई बाध्यता नही; (ii) अ.ज.जा. हेतु 7.5% से कम परिव्यय को चिन्हित करना; (iii) अ.ज.जा. हेतु 7.5%-8.2% के बीच परिव्यय को चिन्हित करना; (iv) अ.ज.जा. हेतु 8.2% से अधिक परिव्यय को चिन्हित करना।

दिशानिर्देश यह भी प्रावधान करते हैं कि जनजातिय कल्याण विभाग राज्य में ज.जा.उ.यो. के निरूपण हेतु नोडल विभाग होंगे। ज.जा.उ.यो. धारणा उन

जनजातिय बहुसंख्यक राज्यों[1] में लागू नहीं है जहाँ जनजातिय जनसंख्या के 60 प्रतिशत से अधिक को प्रदर्शित करती है क्योंकि इन राज्यों/सं.शा.क्षे. में वार्षिक योजना स्वयं में एक जनजातिय योजना है। इन राज्यों/सं.शा.क्षे. की पूर्ण योजना प्राथमिक रूप से बहुसंख्या स्थापित कर रही अ.ज.जा. जनसंख्या के लिए थी।

1.2 ज.जा.उ.यो. के उद्देश्य

जनजातीय उप योजना केन्द्रीय योजना का भाग है। ज.जा.उ.यो. को प्रारम्भ करने का उद्देश्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में अ.ज.जा. के कम से कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में दोनों भौतिक तथा वित्तीय विषयों में विकास हेतु सामान्य क्षेत्र से परिव्ययों तथा लाभों के प्रवाह को निर्दिष्ट करना था। ज.जा.उ.यो. के विशेष उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- यह सुनिश्चित करना कि अ.ज.जा. के लाभ हेतु व्यय किए गए संसाधनो का भाग कम से कम देश में जनसंख्या में उनके भाग के समानुपात है।
- गरीबी तथा बेरोजगारी में भारी कमी।
- वृद्धि जिसे सम्भवत: विकास प्रयासों से प्राप्त किया गया है को बनाए रखने हेतु अ.ज.जा. के हित में उत्पादक परिसम्पतियों का सृजन
- सभी प्रकार के शोषण तथा उत्पीड़न के प्रति भौतिक तथा वित्तीय सुरक्षा का प्रावधान।

उप-योजना निम्न पर लक्ष्यित है;

(a) ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों हेतु संसाधनो का प्रावधान।

(b) उन क्षेत्रों के विकास हेतु एक विस्तृत नीति ढ़ाचा तैयार करना।

(c) इसके कार्यान्वयन हेतु एक उचित प्रशासनिक कार्यनीति परिभाषित करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना पर विचार किया जाना था:

---

[1] अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड और लक्षद्वीप तथा दादरा एवं नागर हवेली सं.शा.क्षे. में ।

केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग योजनागत परिव्यय में से कम से कम देश की कुल जनसंख्या के प्रति अ.ज.जा. के अनुपात में ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों को चिन्हित करना।

↓

जनजातिय उप-योजना गैर-अपवर्तनीय होना चाहिए।

↓

अ.ज.जा. के कल्याण तथा विकास हेतु प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग में ज.जा.उ.यो. के निरूपण तथा कार्यान्वयन हेतु एक नोडल इकाई के रूप में एक समर्पित इकाई स्थापित की जाए।

↓

नोडल समर्पित इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए कि निधियों को अ.ज.जा. विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु विभागों में क्षेत्रीय इकाईयों को आवंटित किया जाएगा।

↓

ज.जा.उ.यो. के कार्यान्वयन के लिए ज.जा.उ.यो. हेतु चिन्हित निधियों को प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग में अलग बजट शीर्ष/उप-शीर्ष के अंतर्गत रखना।

1.3 निधि प्रवाह प्रबंधन

कार्य बल (नवम्बर 2010) ने भा.स. के मंत्रालयों/विभागों को अपने वार्षिक योजनागत परिव्यय में से कम से कम देश में अ.ज.जा. जनसंख्या की प्रतिशतता, जो जनगणना 2011 के अनुसार 8.2 प्रतिशत थी, के समानुपात में ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों को चिन्हित करने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने, जहां कहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन निधियों का किसी अन्य योजना को अपवर्तन नहीं किया गया था, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अनुदानों हेतु अपनी मांगो में एक अलग बजट शीर्ष अर्थात्

क्रियात्मक मुख्य/उप-मुख्य शीर्ष के नीचे लघु शीर्ष "जनजातिय उप योजना" कोड 796 खोलने के लिए परिपत्र 2011-12 जारी किया।

2011-12 से, 28 केन्द्रीय मंत्रालयो की 2011-12 से उनके वार्षिक योजनागत परिव्यय में प्रत्येक के प्रति दर्शाई प्रतिशतता के अनुसार परिव्यय को चिन्हित करने हेतु बाध्य श्रेणियों के अंतर्गत पहचान की गई थी। मंत्रालयों/विभागों को चार श्रेणियों, (i) कोई बाध्यता नहीं (ii) 7.5 प्रतिशत से कम परिव्यय को चिन्हित करना (iii) 7.5 प्रतिशत से 8.2 प्रतिशत के बीच परिव्यय को चिन्हित करना तथा (iv) अ.ज.जा. हेतु 8.2 प्रतिशत से अधिक चिन्हित करना, में अ.ज.जा. की जनसंख्या के समानुपात में अपनी बाध्यता की शर्तों के अनुसार आवंटन को चिन्हित करना अपेक्षित था। (अनुबंध-2 (i))।

2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान 28 केन्द्रीय मंत्रालयो हेतु ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत समग्र बजट अनुमानों तथा व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल परिव्यय (ब.अ.)	कुल व्यय (वास्तविक)
2011-12	18091.23	17453.61
2012-13	21710.11	20184.10
2013-14	24598.39	22029.97 (सं.अ.)

स्रोत: व्यय बजट, खण्ड -I, 2014-15